

न्यायालय:- दशम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर म0प्र0

रजिस्ट्रेशन नं0— 1666 / 2022

फाइलिंग नं0—19309 / 2022

सी.एन.आर. नं0—एम.पी. 0701—024905—2022

फाइलिंग दिनांक 29 / 09 / 2022

सतविन्दर सिंह पुत्र रतन सिंह आयु 57 वर्ष
व्यवसाय ड्रायवरी निवासी गुरुनानक नगर
बहोडापुर जिला ग्वालियर म0प्र0..... **आवेदक**

बनाम

1. राजवीर सिंह पुत्र मुंशीलाल
निवासी बाग किशौरा नगर केशरी
छीतापुरा बीरेई संईयां जिला आगरा उ0प्र0
ड्रायवर ट्रक क्रमांक आर.जे. 11जीए 3891
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल
निवासी बाग किशौरा नगर केशरी
छीतापुरा बीरेई संईयां जिला आगरा उ0प्र0
मालिक ट्रक क्रमांक आर.जे. 11जीए 3891
3. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा
डिवीजनल मैनेजर मण्डल कार्यालय एल.आई.सी.
ऑफिस के पास सिटी सेंटर
जिला ग्वालियर म0प्र0 **अनावेदकगण**

//अधिनिर्णय//

(आज दिनांक 09 / 12 / 2023 को राजीनामा के आधार पर पारित)

आज दिनांक को आयोजित नेशनल लोक अदालत में इस खंडपीठ के समक्ष आवेदक व अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर इस आशय का राजीनामा आवेदन पेश किया कि उनके मध्य 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये मात्र) में राजीनामा हुआ है। यह राजीनामा पक्षकारों के हित एवं विधि के अनुरूप है। उभयपक्ष द्वारा स्वस्थ मानसिक दशा में स्वतंत्र सहमति से राजीनामा किया जाना व्यक्त किया गया है। अतः विचारोपरान्त राजीनामा स्वीकार कर निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

- (1) अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी, आवेदक को दो माह के अन्दर क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में कुल 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये मात्र) अदा करेगी, विलम्ब होने पर उक्त राशि पर आदेश

दिनांक से 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की राशि देय होगी।

- (2) यदि पूर्व में अन्तरिम क्षतिपूर्ति की राशि दी गई है तो वह राशि इस राशि में समायोजित की जावे।
- (3) क्षतिपूर्ति राशि जमा होने पर सम्पूर्ण राशि बचत खाते के माध्यम से आवेदक को अदा की जावे।
- (4) उभयपक्ष अपना-अपना व्यय वहन करेंगे।
- (5) आदेश नियमानुसार सी.आई.एस. में अपलोड किया जावे।

{अशरफ अली}

पीठासीन अधिकारी,
नेशनल लोक अदालत,
खण्डपीठ क्र.-07, ग्वालियर

{दिलीप ठाकुर}

सदस्य क्र.-1
खण्डपीठ क्र.-07, ग्वालियर

{लव यादव}

सदस्य क्र.-2
खण्डपीठ क्र.-07, ग्वालियर